संख्या–भा0स0–145 / 14–2–2017–800 (148) / 2017

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह
अनुसचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक अगस्त 2017

विषयः– अमरोहा में बदायूँ–बिजनौर मार्ग एन0एच0–51 के किमी0 113.100 की दांयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की के खसरा सं0–79 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यूपी / 06 / 47?5 / 2017 / एफसी / 69, दिनांक 08–8–2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– विषयगत प्रकरण में प्रस्ताव की 02 प्रतियां प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 08–8–2017 में अंकित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि 02प्रस्ताव।

भवदीय,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।